वार्षिक रिपोर्ट

2002 - 2003

UTTARANCHAL

pcb

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई–115, नेहरू कालोनी, पर्यावरण भवन, हरिद्वार रोड, देहरादून

नया नाम :–

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नारायण दत्त तिवारी
मुख्य मंत्री, उत्तरांचल

उत्तरांचल शासन

विधान भवन,
देहरादून

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (2002–03) प्रकाशित की जा रही है। वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित सूचनाएँ केवल पर्यावरणविदों, शोध छात्रों एवं उद्यमकर्ताओं के लिए ही नहीं परन्तु प्रदेश की पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी इससे सर्व सुलभ हो सकेगी। विश्व मानकों की पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी इससे सर्व सुलभ हो सकेगी। विश्व मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखना हमारे लिए परम आवश्यक है जिससे हम हिमालय जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित रख सकेंगे जो हमारे ऊर्जा व जल स्रोत है।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 01–05–2002 को हुई थी। परिषद द्वारा अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उद्देशयानुरूप प्रयास होता रहेगा।

मैं परिषद के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

नारायण दत्त तिवारी

मधुकर गुप्ता
मुख्य सचिव

उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल सचिवालय
4–सुभाष मार्ग, देहरादून
दूरभाषः कार्या0: 0135–2712100
0135–2712200
फैक्सः 0135–2712500

संदेश

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002–2003 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्य बोर्ड की स्थापना 1 मई 2002 को हुई थी। राज्य बोर्ड द्वारा अपने सीमित संसाधनों से किये गये कार्यों का ब्यौरा एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारियां इस रिपोर्ट में तैयार कर प्रस्तुत की गयी हैं।

मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट आम जनता के लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी तथा बोर्ड भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसी प्रकार प्रयासरत रहेगा।

इस अवसर पर मैं बोर्ड के सदस्यों एवं अधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

उत्तरांचल शासन

विधान भवन, देहरादून
दूरभाष: कार्या0: 0135–2666780
निवास: 0135–2734264
फैक्स: 0135–2666776

नव प्रभात
मंत्री
वन, पर्यावरण एवं
शहरी विकास

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष की अनुभूति हो रही है कि उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की है और पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी को बोर्ड की वेबसाइट पर भी स्थान दिया जा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि राज्य बोर्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर स्वच्छ हिमालयी गुणवत्ता और राष्ट्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखने का अतिरिक्त दायित्व भी है। मुझे आशा है कि राज्य बोर्ड अपनी कर्मठता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्धता द्वारा उत्तरांचल को स्वच्छ बनाने में योगदान देगा।

मैं बोर्ड के सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये योगदान की सराहना करता हूं।

शुभकामनाओं सहित

(नव प्रभात)

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन
देहरादून
दूरभाष: 0135–2712001
फैक्स: 0135–2712021

डा. आर. एस.टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी की बोर्ड की वेबसाइट में रखा जा रहा है राज्य बोर्ड द्वारा सीमित संसाधनों के होते हुए भी दृढ मनोदशा और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में विगत वर्ष में सराहनीय कार्य किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि बोर्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के साथ–साथ जन मानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य भी करता रहेगा जिससे कि हम अपनी देवभूमि की मर्यादा को जीवंत रख पायेंगे और इस हिमालयी राज्य की प्राकृतिक संपदा और सुंदरता को दीर्घकाल तक संजोये रख सकेंगे।

मैं बोर्ड के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

(डा0 आर. एस. टोलिया)
अध्यक्ष,
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रस्तावना

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि **उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा वर्ष 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गयी है। बोर्ड द्वारा 1 मई 2002 को अपनी स्थापना के बाद 11 माह के अंतराल में सीमित संसाधनों के बावजूद कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं जिनको संक्षेप में रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट दर्शित **प्रगति विवरण** मेरे पूर्व सहयोगी श्री अशोक पई एवं श्री गंभीर सिंह,अपर सचिव (वन एवं पर्यावरण), उत्तरांचल शासन के कार्यकाल की है, जिनके पास सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी था। उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये बोर्ड उनका सदा आभारी रहेगा। बोर्ड के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा बोर्ड को सशक्त बनाने हेतु सराहनीय सहयोग दिया गया है।

बोर्ड द्वारा उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनमानस की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी कार्यशैली एवं कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है जिसकी शुरूआत राज्य बोर्ड के नाम परिवर्तन से हुई है। जहां एक ओर बोर्ड सम्पूर्ण **उत्तरांचल की स्टेट ऑफ इन्वायरनमेंट रिपोर्ट** तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर दून वैली क्षेत्र की **पर्यावरणीय क्षमता** के आधार पर निर्धारित मानकों पर पुनः विचार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भविष्य की योजनाओं को एक समुचित एवं ठोस प्रारूप दिया जा सके। बोर्ड का उद्देश्य यहां के निवासियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन–जागरूकता का सृजन करना एवं इस हिमालयी विरासत का संरक्षण एवं पोषणीय विकास है। बोर्ड राज्य के पोषणीय विकास के साथ–साथ यहां की जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिये प्रयासरत रहेगा। बोर्ड अपनी कार्य योजनाओं के प्रति दृढ़ मनोदशा से कार्य करता रहेगा और उत्तरांचल के विकास एवं संवर्द्धन में अपना सहयोग देता रहेगा।

अंत में मैं डा0 आर. एस. टोलिया, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन जो कि बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं, का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके दिशा निर्देशों पर चलकर बोर्ड आज मात्र मानक संस्था न रहकर एक प्रोत्साहक संस्था बन गयी है। मैं बोर्ड के सदस्यों एवं अधिकारियों/कार्मिकों को उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह वार्षिक रिपोर्ट उत्तरांचल राज्य के विकास में सहभागी सिद्ध होगा।

(सी.वी. एस. नेगी)
सदस्य सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	स्थापना	1
2.	प्रमुख दायित्व एवं कर्त्तव्य	2
3.	बोर्ड की बैठक	3–4
	3.1 बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पदों का सृजन	
	3.2 जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत प्रयोगशालाओं का अनुमोदन	
4.	प्रगति विवरण	5–19
	4.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र	
	4.2 जल प्रदूषण नियंत्रण	
	4.3 जल उपकर	
	4.4 वायु प्रदूषण नियंत्रण	
	4.5 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियम, 1989	
	4.6 ध्वनि प्रदूषण	
	4.7 प्रयोगशाला एवं जल–वायु गुणता का अनुश्रवण	
	4.8 वाहन प्रदूषण चैकिंग अभियान	
	4.9 ओजोन परत संरक्षण जागृति के संबंध में कार्यशाला	
	4.10 प्रशिक्षण	
	4.11 बोर्ड का आय व्ययक	
	4.12 अभियोजनात्मक कार्यवाही	
5.	कार्य योजना	20
6.	संलग्नक	21–34

1

स्थापना

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार द्वारा 01 मई, 2002 को उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया (अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्नक–1 पर संलग्न है)। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्डों को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। राज्य बोर्डों के वित्तीय संसाधन सुदृढ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भी अधिनियमित किया गया जिसके अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी शक्तियां भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रत्यायोजित की गयी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किया जा रहा है. प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए देहरादून स्थित मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त एक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में है। हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुमायूं मंडल तथा देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गढवाल मंडल में प्रदूषण नियंत्रण का कार्य किया जाता है। मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियो की सूची संलग्नक 2 व 3 पर संलग्न है.

उत्तरांचल के गढवाल मंडल में देहरादून, टिहरी गढवाल, पौड़ी गढवाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार आते है। देहरादून को छोड़कर अन्य सभी जनपद पूर्णतया पहाड़ो पर बसे है। यह सभी जनपद वनो से आच्छादित है तथा पर्यटन ही मुख्य उद्योग है। केवल देहरादून व टिहरी गढवाल में ढालवाला के औद्योगिक संस्थान व पौड़ी गढवाल में कोटद्वार व हरिद्वार में ही उद्योग स्थापित हुए है। कुमांऊ मंडल में उद्योग मुख्यतयः जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में है। शेष जनपदों में उद्योग पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण नही लगे है।

मंडल	श्रेणी	संख्या
गढवाल	वृहद	11
	मध्यम	36
	लघु	209
कुमांऊ	वृहद	27
	मध्यम	31
	लघु	185

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य

2.1 राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।

2.2 प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे सम्बन्धित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका सचालन करना, उसमें भाग लेना।

2.3 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण सम्बन्धी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

2.4 मल तथा व्यवसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धिकरण संयंत्रों की जांच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।

2.5 बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।

2.6 मल तथा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

2.7 उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

2.8 ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये या उसे समय–समय पर सौंपे जाये।

2.9 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बोर्ड को सौंपे गये निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है:–

(क) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम 1989.

(ख) परिसंकटमय (भण्डारण एवं मापन) नियम 1989.

(ग) जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम 1998

(घ) पुनः चक्रित प्लास्टिक निर्माण एवं उपयोग नियम 1999

(च) ध्वनि प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) नियम 2000

(छ) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम 1999

(ज) बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2001

3

बोर्ड की बैठक

दिनाक 27.07.02 को बोर्ड की प्रथम बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

1. डा0 आर.एस. टोलिया, अध्यक्ष, उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. श्री इन्दु कुमार पाण्डेय, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन
3. श्री आलोक जैन, सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन
4. श्री एस.एस. सन्धु, उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
5. श्री मदन मोहन डबोला, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
6. डा0 पी.के. पाण्डेय, मुख्य अभियंता (गढवाल), उत्तरांचल जल निगम, देहरादून
7. श्रीमती स्नेह अग्रवाल, अपर सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन
8. श्री धीरज गर्ब्याल, प्रशासक, काशीपुर
9. श्री जी.एस. जोशी, अपर नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून
10. श्री आर.बी. दुबे, अधिशासी अधिकारी, हरिद्वार
11. श्री अशोक पई, सदस्य सचिव, उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं:–

3.1 बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पदों का सृजन।

बोर्ड मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून

क्र.सं.	पद	संख्या
1.	अध्यक्ष	1
2.	सदस्य सचिव	1
3.	मुख्य पर्यावरण अधिकारी	1
4.	पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	2
5.	सहायक पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	2
6.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	1
7.	विधि सलाहकार	1
8.	लेखाधिकारी	1
9.	निजी सहायक	2
10.	अवर अभियंता	2
11.	वैज्ञानिक सहायक	1
12.	लेखाकार	1
13.	आशुलिपिक	2
14.	वरिष्ठ लिपिक	1

15.	कनिष्ठ लिपिक	3
16.	प्रयोगशाला सहायक	1
17.	अनुश्रवण सहायक	4
18.	वाहन चालक	3
19.	चपरासी / चौकीदार	6
	कुल योग	36

क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी

क्र.सं.	पद	संख्या
1.	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	1
2.	सहायक पर्यावरण अभियंता / अधिकारी	2
3.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	1
4.	अवर अभियंता	2
5.	वैज्ञानिक सहायक	1
6.	लेखाकार	1
7.	वरिष्ठ लिपिक	1
8.	कनिष्ठ लिपिक	2
9.	प्रयोगशाला सहायक	1
10.	अनुश्रवण सहायक	2
11.	वाहन चालक	1
12	चपरासी / चौकीदार	4
	कुल योग	19

3.2 जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत प्रयोगशालाओं का अनुमोदन।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित 1978 की धारा 17(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(2) के अंतर्गत निम्न संस्थाओं / प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत बोर्ड की प्रयोगशाला हेतु अनुमोदन किया जाता है :–

- आई.आई.टी. रूड़की, जिला हरिद्वार.
- जी.बी. पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर, जिला ऊधमसिंहनगर
- क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
- क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी

4

प्रगति विवरण

4.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहां उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और अधिक गंभीर अथवा उग्र तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं एवं उनकी विस्तृत जांच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग द्वारा अपना उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यावसायिक उत्प्रवाह एवं घरेलू अभिक्रियण एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धिकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में 93 उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये एवं 32 उद्योगों के आवेदन पत्र औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये।

क्षेत्रीय अधिकारियों को 44 प्रकार के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर शेष समस्त प्रकार के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के अधिकार दिये गये हैं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र का माहवार विवरण निम्न प्रकार है–

माह	निर्गत	अस्वीकृत
मई– 2002	06	05
जून– 2002	10	01
जुलाई–2002	15	–
अगस्त–2002	08	02
सितम्बर–2002	12	02
अक्टूबर–2002	09	02
नवम्बर– 2002	11	–
दिसम्बर–2002	05	03
जनवरी–2003	07	03
फरवरी–2003	02	06
मार्च–2003	08	08
कुल	93	32

4.2 जल प्रदूषण नियंत्रण :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न उद्योगों के प्रतिष्ठानों को जो अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में रू0 7.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध रू0 9.00 लाख सहमति शुल्क (जल) के रूप में एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2002–03 में 129 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति प्रदान की गयी तथा 72 उद्योगों की सहमति अस्वीकृत की गयी।

जल सहमति आवेदन पत्र 2002– 03

माह	निर्गत	अस्वीकृत
मई– 2002	09	10
जून– 2002	10	03
जुलाई–2002	05	03
अगस्त–2002	06	04
सितम्बर–2002	06	07
अक्टूबर–2002	05	10
नवम्बर– 2002	07	01
दिसम्बर–2002	10	07
जनवरी–2003	19	06
फरवरी–2003	27	09
मार्च–2003	25	12
कुल	129	72

TARGET AND ACHIEVEMENT OF WATER CONSENT FEES FOR 2002-03

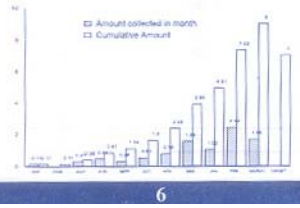

4.3 जल उपकर

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डो के आर्थिक संसाधन सुदृढ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायो एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 मे उद्योगों से उपकर एकत्रण हेतु रू0 85.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 31 मार्च, 2003 तक रू0 87.16 लाख एकत्र किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	माह	धनराशि रू0 (लाख में)
1	जुलाई – 2002	3.64
2	अगस्त – 2002	2.44
3	सितम्बर – 2002	4.08
4	अक्टूबर – 2002	9.23
5	नवम्बर – 2002	17.73
6	दिसम्बर – 2002	9.98
7	जनवरी – 2003	7.43
8	फरवरी – 2003	9.34
9	मार्च – 2003	23.29
	कुल	87.16

जल उपकर की प्रत्येक माह मे एकत्रित धनराशि को अगली माह की 10 तारीख तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है जिसमें से 80 प्रतिशत बोर्ड को वापिस किया जाता है।

TARGET AND ACHIEVEMENT OF WATER CEES FOR 2002-03

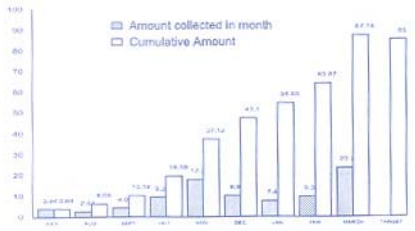

4.4 वायु प्रदूषण नियंत्रण

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौपा गया है। बोर्ड द्वारा वातावरण मे वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रदेश की राजधानी देहरादून में दो स्थलों घन्टाघर एवं रायपुर रोड में किया जा रहा है।

वायु मण्डल को स्वच्छ रखने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योगो से निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषक गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके द्वारा वायु मण्डल में उत्सर्जन के लिये किसी नयी या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाये जाने के लिये या चिमनी से वायु मण्डल मे उत्सर्जन को जारी रखने के लिये बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सहमति आवेदन पत्रो के साथ बोर्ड द्वारा वायु नियमावली, 1983 मे प्रविधानित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 में कुल रू0 4.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 6.30 लाख सहगति शुल्क (वायु) के रूप में एकत्रित किया गया। वित्तीय वर्ष 2002–03 में 188 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति प्रदान की गयी तथा 140 उद्योगों की सहमति अस्वीकृत की गयी।

वायु सहमति आवेदन पत्र 2002– 03

माह	निर्गत	अस्वीकृत
अप्रैल–2002	09	06
मई– 2002	12	25
जून– 2002	14	09
जुलाई–2002	12	06
अगस्त–2002	09	03
सितम्बर–2002	40	17
अक्टूबर–2002	15	13
नवम्बर– 2002	04	03
दिसम्बर–2002	07	11
जनवरी–2003	19	13
फरवरी–2003	24	21
मार्च–2003	29	13
कुल	188	140

TARGET AND ACHIEVEMENT OF AIR CONSENT FEES FOR 2002-03

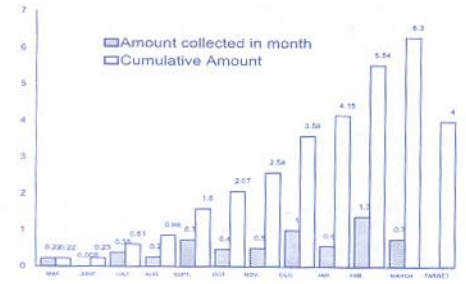

4.5 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियम, 1989

परिसंकटमय जनित करने वाले 12 उद्योगों को अपशिष्ट प्रबन्ध के उचित निर्देश के साथ प्राधिकार स्वीकृत किये गये तथा 7 उद्योगों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं।

उक्त नियमावली का व्यापक रूप से वर्ष 2000 में संशोधन किया गया है तथा प्रत्येक प्राधिकार आवेदन के साथ रू0 7500 प्रक्रिया शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। मार्च 2002 तक रू0 2.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 1.81 लाख शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये हैं।

TARGET AND ACHIEVEMENT OF HAZARDOUS WASTE AUTHORIZATION FEES FOR 2002-03

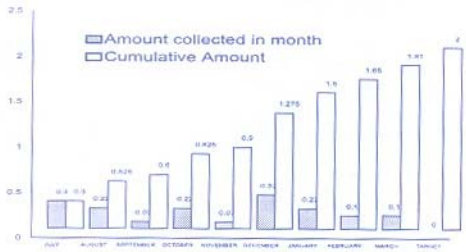

4.6 ध्वनि प्रदूषण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वातावरणीय ध्वनि के मानक निर्धारित किये जा चुके हैं तथा इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इन मानकों के क्रियान्वयन हेतु सूचित किया गया है। परीक्षण के रूप में बोर्ड द्वारा वातावरणीय ध्वनि के मापन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। मानक संलग्नक– 7 पर संलग्न हैं।

4.7 प्रयोगशाला एवं जल–वायु गुणता का अनुश्रवण :

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 02 प्रयोगशालाएं क्रमशः देहरादून एवं हल्द्वानी स्थापित हैं। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों के नमूने, परिवेशीय वायु गुणवत्ता तथा ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत् है – (संलग्न–6)

गंगा नदी में ऋषिकेश व हरिद्वार में जल गुणवत्ता (2002–03)

क्र.स.	पैरामीटर	ऋषिकेश		हरिद्वार	
		अपस्ट्रीम	डाउन स्ट्रीम	अपस्ट्रीम	डाउन स्ट्रीम
1.	पी.एच.	7.5	7.5	7.5	7.5
2.	घुलित ऑक्सीजन मिग्रा/लीटर	9.2	9.7	9.26	9.36
3.	बी.ओ.डी. मिग्रा/लीटर	1.075	1.266	1.075	2.11
4.	एम.पी.एन.	402.5	495	1010	3909

WATER QUALITY AT RISHIKESH FOR YEAR 2002-03

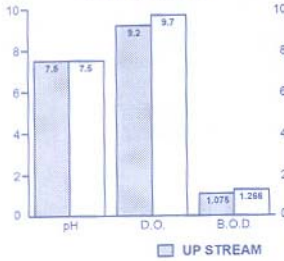

WATER QUALITY AT HARDWAR FOR YEAR 2002-03

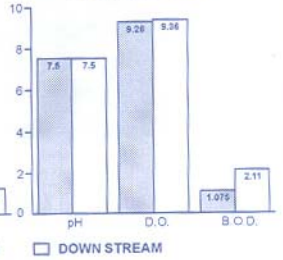

UP STREAM DOWN STREAM

MPN VALUE AT HARDWAR AND RISHIKESH 2002-03

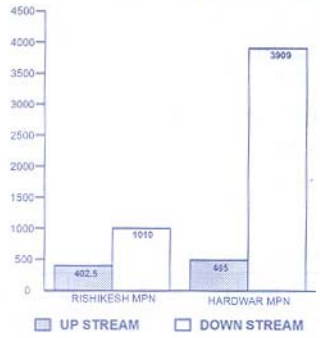

Report on Characterstics of Nainital Lake, (2002-03)

Sampling Station Tallital									
Month	Temp. (°C)	PH	Elect. Cond (mhos/cm)	DO (mg/l)	Hardness (mg/l)	Alkalinity (mg/CaCO3)	Chloride (mg/l)	Total coliform MPN/100 ml	Fecal Coliform MNP/100 ml
April 2002	19	8.09	580	4.6	292	238	17	1600	13
May	21	8.89	580	13.2	304	256	17	-	-
June	22	8.64	540	12.8	312	260	18	2400	38
July	22	8.83	550	12.4	272	214	16	-	-
August	21	8.84	550	13	258	208	15	920	17
September	20	8.63	680	9.6	242	208	15	-	0
October	19	8.89	500	6.4	272	202	18	-	-
November	18	8.33	520	5.8	308	226	16	1600	8.2
December	10	7.97	510	2.4	292	244	17	-	-
January2003	11	8.2	520	8	322	218	18	-	-
February	12	8.07	510	6	308	232	17	920	22
March	14	8.18	520	13.2	288	240	16	-	-

Note:- Most of the Parameter seem to vary due to seasonal variations

REPORT ON QUALITIES OF NAINITAL LAKE (2002-03)

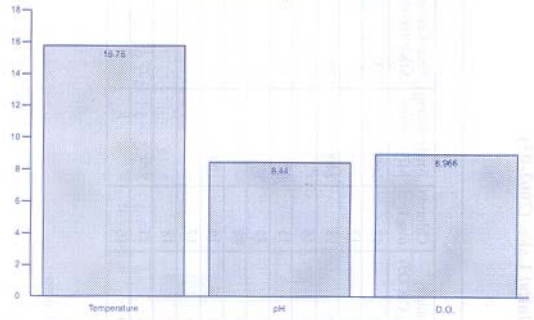

♦ **मीनार्स (मॉनीटरिंग ऑफ इण्डियन नेशनल एक्वटिक रिर्सोसेज परियोजना)**

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नदियों के चार चिन्हित स्थलों पर जल गुणता का अनुश्रवण का कार्य माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है।

♦ **नाकम (नेशनल एम्बिऐंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग) परियोजना**

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की राजधानी में 02 चिन्हित स्थलों घंटाघर व रायपुर रोड पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। (गानक संलग्नक 6 पर संलग्न है)

देहरादून शहर मे वायु गुणता अनुश्रवण आकडे (2002–2003)

माह	घंटाघर			रायपुर रोड		
	S.P.M.	Nox	So_2	S.P.M.	Nox	So_2
अप्रैल 2002	456.07	24.6	24.6	370.07	21.67	19.54
मई	499.9	22.16	22.16	393.4	22.67	17.66
जून	376.99	20.63	20.63	348.78	20.97	17.33
जुलाई	410.01	21.77	21.77	314.4	19.29	21.51
अगस्त	283.79	19.6	19.6	274.0	18.72	19.38
सितम्बर	281.53	18.11	18.11	233.29	18.07	14.52
अक्टूबर	328.27	19.66	19.66	307.17	19.48	16.17
नवम्बर	488.82	23.51	23.51	354.78	21.64	17.33
दिसम्बर	490.36	22.24	22.24	338.66	21.3	19.45
जनवरी 2003	423.82	21.1	21.1	415.11	21.33	18.76
फरवरी	281.43	20.42	20.42	332.52	25.95	18.33
मार्च	470.05	20.98	20.98	345.05	23.42	17.83
निर्धारित मानक (µg/m3)	100	30	30	100	30	30

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दून वैली के लिये विशेष मानक बनाये गये हैं जो कि संलग्नक 4 पर संलग्न हैं.

AMBIENT AIR QUALITY OF DEHRADUN CITY (SPM LEVEL)

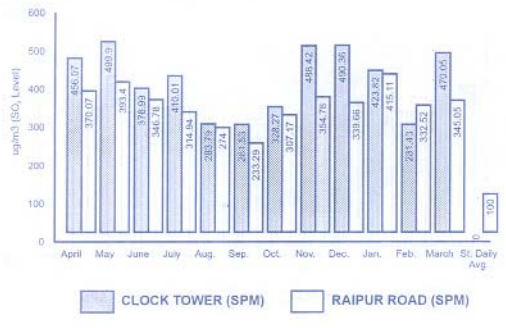

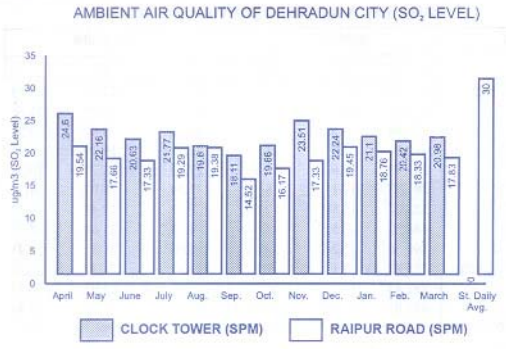

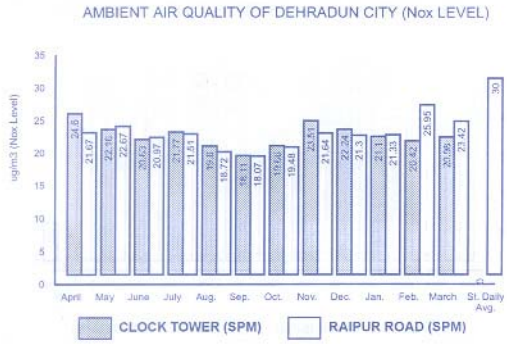

4.8 वाहन प्रदूषण चैकिंग अभियान

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग के सहयोग से बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहनों से निकलने वाले धुएं की चैकिंग का अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाहनों के प्रदूषण स्तर को मापा गया जिससे आम जनता में मोटर वाहन प्रदूषण के नियमों के पालन हेतु जागरूकता पैदा हो।

4.9 ओजोन परत संरक्षण जागृति के सम्बन्ध में कार्यशाला

बोर्ड द्वारा ओजोन परत संरक्षण जागृति के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिनांक 10.01.03 को एक कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया गया जिसका उद्घाटन मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तरांचल शासन द्वारा किया गया. कार्यशाला में जन प्रतिनिधि भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों एवं एन.जी.ओ. ने भाग लिया.

4.10 प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बोर्ड के 12 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण सम्बन्धित

विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है. (विवरण संलग्न – संलग्नक–4)

4.11 बोर्ड का आय–व्ययक

वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिये बोर्ड द्वारा रू0 98.05 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 में कुल रू0 49.75 लाख का व्यय अधिष्ठान व कार्यक्रमों पर किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:–

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2002–03 के स्वीकृत बजट व व्यय विवरण (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विवरण	देहरादून मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय		क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी		कुल	
		स्वीकृत बजट	व्यय	स्वीकृत बजट	व्यय	स्वीकृत बजट	व्यय
1.	वेतन एवं भत्ते	37.00	23.53	20.00	14.32	57.00	3785
2.	अन्य व्यय	56.00	5.93	7.01	4.13	63.01	10.06
3.	सेमिनार, गोष्टी व जन–जागरूकता	2.50	0.84	0.20	–	2.70	0.84
4.	प्रयोगशाला व्यय	1.00	0.85	0.25	0.15	1.25	1.00
	कुल	96.50	31.15	27.46	18.60	123.96	49.75

4.12 अभियोजनात्मक कार्यवाही

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 2002–2003 के वादों का विवरण

क्र.सं.	रिट याचिका संख्या	वादी	विषय	मा0 न्यायालय का नाम
1.	318 / एम.बी. / 2002	श्री परिक्षित सैनी	देहरादून में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में	मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल
2.	153 / एम.बी. / 2003	श्री करण कुमार सिंह	लण्ढौरा जनपद हरिद्वार में ईंट भट्टों से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में	तदैव
3.	860 / एम.बी.	श्री आनन्द पाल सिंह	डी.सी.एम. शुगर फैक्टरी में स्थापित इन्डक्शन फर्नेस के सम्बन्ध में	तदैव
4.	729 / एम.बी.	लौहकला समिति लि0,	उद्योग को वायु अधिनियम	तदैव

	/ 2002	देहरादून बनाम बोर्ड	के अंतर्गत बन्दी आदेश के विरूद्ध	
5.	484 / एम.बी. / 2002	प्रीमियर कैली कैमिकल्स, देहरादून बनाम बोर्ड	उद्योग को वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध	तदैव
6.	6–147 / 2002	वकील अहमद बनाम मी0 रशीद क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य	उत्तरांचल ब्रिक फील्ड, तहसील गदरपुर के सम्बन्ध में	सिविल जज प्रवर्तन ऊधमसिंह नगर

5

कार्य योजना

1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन.
2. उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य करने की योजना बना रहे हैं एवं बोर्ड का नाम परिवर्तित कर इसका नया नाम **उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** प्रस्तावित है.
3. पर्यावरण संरक्षण हेतु जन–जागरूकता के कार्यक्रम करवाना.
4. उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य की स्टेट आफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई.डी.एफ. सी. की सहायता से बनायी जा रही है.
5. राज्य के समस्त नगरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समिति गठित करना.
6. दून वैली क्षेत्र की पर्यावरणीय क्षमता के आधार पर निर्धारित मानकों पर पुनः विचार किया जा रहा है जिससे कि मानक लचीले, प्रयोगात्मक व प्रभावी बनाये जा सकें.
7. 17 श्रेणी के उद्योगों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार राज्य में स्थापित उद्योगों में लागू करवाना.
8. बोर्ड का सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटरीकृत किया जाना एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नेटवर्किंग।
9. जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत राज्य बोर्ड के अपने नियमों को तैयार किया जाना.
10. राज्य में नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कार्यवाही.

6

संलग्नक

Annexure-I

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या 153/1(2)– व. ग्रा. वि./2002–13(5)/2000
देहरादूनः दिनांक– 01 मई, 2002

अधिसूचना

वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 7756/1–व. ग्रा. वि. /2001–13(5)/2000, दिनांक 26 दिसम्बर 2001 द्वारा गठित "उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" को तत्काल क्रियाशील किये जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से "उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" को पुर्नगठित करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों/पदधारकों को अग्रिम आदेशों तक नाम निर्दिष्ट एंव नियुक्त करते हैं–

उत्तरांचल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्यों की सूची

(1)	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तरांचल शासन,	अध्यक्ष (अंशकालिक)
(2)	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल	सदस्य
(3)	अपन सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
(4)	अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
(5)	मुख्य अभियन्ता, जल निगम, देहरादून	सदस्य
(6)	मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून	सदस्य
(7)	मुख्य नगर अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
(8)	उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून	सदस्य
(9)	प्रशासक नगरपालिका, काशीपुर, उत्तरांचल	सदस्य
(10)	उत्तरांचल चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	सदस्य

श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि उत्तरांचल प्रदूषण नियत्रण बोर्ड का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से इसके कार्यक्षेत्र में "उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" न तो कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा

(डा0 आर. एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव

Annexure-IV

List of Officials for the training courses & their detail

S. No.	Name of course	Name & Designation	Training Centre/Venue	Dates of training from to
1.	Clean Technology & Pollution Prevention in air pollution control	Dr. Mohd. Sikander, A.S.O.	IIT, Bombay	27.01.03 to 31.01.03
2.	Brick Kiln Technologies & Environmental Pollution	Mr. C.P. Sharma, A.E.O.	Agra, TERI	04.03.03 to 06.03.03
3.	National Seminar on Corporate Responsibility for Environmental Protection (CREP)	Mr. Amarjeet Singh, A.E.O.	Ashoka Hotel, New Delhi	12.03.03 to 13.03.03
4.	Accident and Emergency Management	Mr. Om Prakash, A.E.E., Diploma	DMI, Bhopal	17.03.03 to 21.03.03
5.	Preparation of emission invention	Mr. C.V. Verma, J.E.,	NEERI, Nagpur	06.01.03 to 10.01.03
6.	Legal Procedure in enforcement including consent drafting	Mr. jagdish Saklani, Legal Advisor,	CES, Anna University, Chennai	24.02.03 to 28.02.03
7.	Air Quality Management. including Quality assurance	Mr. S.S. Rana, Scientific Asst. (5000-8000) M.Sc	JNU, Delhi	03.03.03 to 07.03.03
8.	Sampling and Analysis method of Ambient air pollution and source emission including site selection guide-lines and statistical Analysis and interpretation of air Quality data.	Dr. V.K. Joshi, Ph.D. Scientific Asst.	NEERI, Nagpur	24.03.03 to 04.04.03
9.	Determination impact or health Vegetation due to	Mr. Sunil Trivedi, Scientific Asst.	ITRC, Lucknow	10.03.03 to 14.03.03
10.	Sampling and Analysis method for Volatile organic in Ambient air	Mr. Harish Joshi, Lab Asst.	NEERI, Nagpur	03.02.03 to 07.02.03

Annexure-II

मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में कार्यरत अधि0/कार्मिकों की सूची:-

1.	श्री अशोक पई	सदस्य सचिव (20.05.02 – 20.01.03)
2.	श्री गंभीर सिंह	सदस्य सचिव (21.01.03 – 31.03.03)
3.	श्री आई.एन. त्यागी	पर्यावरण अभियंता
4.	श्रीमति शोभा चतुर्वेदी	सहायक वैज्ञा0 अधिकारी
5.	श्री अमरजीत सिंह	सहायक पर्या0 अधिकारी
6.	श्री सी0पी0 शर्मा	सहायक पर्या0 अधिकारी
7.	श्री जगदीश सकलानी	विधि सलाहकार, (अंशकालिक)
8.	श्री एस.एस. राना	वैज्ञानिक सहायक
9.	श्री वी. के. जोशी	वैज्ञानिक सहायक
10.	श्री पी. के. यादव	लेखाकार
11.	श्री एच.आर. सिंह	टंकक/लिपिक
12.	श्री कुवरपाल सिंह	टंकक/लिपिक
13.	श्री एम0ए0 सिद्दीकी	अनुश्रवण सहायक
14.	श्री बालेन्द्र त्यागी	अनुश्रवण सहायक
15.	श्री ए0के0 भटनागर	अनुश्रवण सहायक
16.	श्री वी.के. शर्मा	अनुश्रवण सहायक
17.	श्री एस.के. डिमरी	अनुश्रवण सहायक
18.	श्री बी0एस0 भण्डारी	वाहन चालक
19.	श्री मातवर चन्द	वाहन चालक
20.	श्री बचन सिंह चौहान	चपरासी
21.	श्री के.डी. चमोली	चपरासी
22.	श्री सुभाश चन्द्र शर्मा	चपरासी
23.	श्री उमेद सिंह चौहान	चपरासी
24.	श्री महावीर सिंह चौहान	चपरासी

Annexure-III

क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी में कार्यरत अधि0/कार्मिकों की सूची:-

1.	श्री वी.डी. रतूड़ी	क्षेत्रीय अधिकारी
2.	डा0 मोहम्मद सिकन्दर	सहायक वैज्ञा0 अधिकारी
3.	श्री ओमप्रकाश	सहायक पर्या0 अभियंता
4.	श्री चन्द्रभान वर्मा	अवर अभियंता
5.	श्री सुनील त्रिवेदी	वैज्ञानिक सहायक
6.	श्री सोबन सिंह बिष्ट	आलेखक/प्रालेखक
7.	श्री उमेश ग्रेवाल	टंकक/लिपिक
8.	श्री हरीश चन्द्र जोशी	प्रयोगशाला सहायक
9.	श्री मेहर सिंह	चपरासी
10.	श्री ज्ञान सिंह नेगी	चपरासी
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	चपरासी
12.	श्री जसवन्त राम	चौकीदार
13.	महेन्द्र सिंह	वाहन चालक (संविदा पर)

Annexure-V

WATER QUALITY PARAMETERS

Designated- Best -Use	Class of Water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfections	A	1. Total Coliform Organism MPN/100 ml shall be 50 or less 2. pH between 6.5 and 8.5 3. Dissolved Oxygen 6mg/l or more 4. Biochemical oxygen demand 5 days 20°C 2mg/l or less
Outdoor Bathing (Organized)	B	1. Total Coliforms Organism MPN/100 ml shall be 500 or less 2. pH between 6.5 and 8.5 3. Dissolved Oxygen 5mg/l or more 4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Drinking Water source after conventional treatment and disinfections	C	1. Total Coliforms Organism MPN/100 ml shall be 5000 or less 2. pH between 6.5 and 8.5 3. Dissolved Oxygen 4mg/l or more 4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less
Propagation of Wild Life and Fisheries	D	1. pH between 6.0 and 8.5 2. Dissolved Oxygen 5mg/l or more 3. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C 3mg/l or less 4. Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	1. pH between 6.0 and 8.5 2. Electrical Conductivity at 25°C microns mhos/cm Max. 2250 3. Sodium absorption ratio Max. 26 4. Boron Max. 2 mg/l

Annexure-VI

Ambient Air quality Standards

Pollutant	Time Weighted average	Concentration in ambient			Method of measurement
		Industrial Area	Residential Rural & other areas	Sensitive Area	
1	2	3	4	5	6
Sulphur Dioxide (SO_2)	Annual Average*	80 µg/m³	60 µg/m³	15 µg/m³	1. Improved West and Gaeke method
	24 hours**	120 µg/m³	80 µg/m³	30 µg/m³	2. Ultraviolet fluorescence
Oxides of Nitrogen as NO_2	Annual Average*	80 µg/m³	60µg/m³	15 µg/m³	1. Jacob & Hocheiser Modified (Na-Arsenite) Method
	24 hours**	120 µg/m³	80 µg/m³	30 µg/m³	2. Gas Phade Chemiluminescence
Suspended Particulate Matter (SPM)	Annual Average*	360 µg/m³	140 µg/m³	70 µg/m³	
	24 hoours**	500 µg/m³	200 µg/m³	100 µg/m³	(Average flow rate not less than 1.1 m³/minute).
Respirable Particulate matter (size less than 10 um) (RPM)	Annual Average*	120 µg/m³	60 µg/m³	50 µg/m³	
	24 hours**	150 µg/m³	100 µg/m³	75 µg/m³	
Lead (Pb)	Annual Average*	1.0µg/m³	0.75 µg/m³	0.50 µg/m³	--AAS Method after sampling using EPM 2000 or equivalent filter paper
Carbon Monoxide (CO)	8 hours**	5.0 mg/m³	2.0 mg/m³	1.0 mg/m³	--Non dispersive infrared spectroscopy
	1 hour**	10.0 mg/m³	4.0 mg/m³	2.0 mg/m³	

* Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a week 24 hourly at uniform interval.

** 24 hourly /8 hourly values should be met 98% of the time in a year. However, 2% of the time, it may exceed but not on two consecutive days.

Annexure-VIII

G09 Notification for Doon Valley

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

(New Delhi, the 1st February, 1989)

Notification

Notification under Section 3 (2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5 (3) (d) of Environment (Protection) Rules, 1986, Restriction location of industries, mining operations and other development activities in the Doon Valley in Uttar Pradesh.

S.O. No. 102 (E) - Whereas notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections against the imposition of restriction on location of industries, mining operation and other developmental activities in the Doon Valley, in Uttar Pradesh was published vide No. S.O. 923(E), dated the 6th October, 1988;

And Whereas all objections received have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (3) of Rule 5 of the said rules, the Central Government herby imposes restrictions on the following activities in Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesset Himalayan range, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts.

(i) Location, setting of industrial units- It has to be as per guidelines, given in the annexure or guidelines as may be issued from time to time by the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

(ii) Mining - Approval of the Union Ministry of Environment & Forests must be obtained before starting any mining activity.

(iii) Tourism - It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(iv) Grazing - As per the plan to be prepared by the State government and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(v) Land Use - As per Master Plan of development and Land Use Plan on the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment & Forets.

(No. J-20012/38/86-1A)

K.P. Geethakrishnan, Secy.

Annexure

Guidelines for permitting, restricting industrial units in the Doon Valley area :

Industries will be classified under Green, Orange and Red Categories, as shown below for purposes of permitting/restricting such industrial units in the Doon Valley from the environmental and ecological considerations :

Category Green

A. List of industries in approved industrial areas which may be directly considered for issue no objection certificate without referring to (ministry of environment & forests) (in case of doubts reference will be made to ministry of environment & forests).

1. All such non-obnoxius and non-hazardous industries employing upto 100 persons. The abnoxius abnd hazardous industries are those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances.
2. All such industries which do not discharge industrial effluents of a polluting nature and which do not undertake any of the following processes :
   Electroplating;
   Galvanishing;
   Bleaching;
   Phosphating;
   Dyeing;
   Pickling, tanning;
   Polishing;
   Cooking of fibres and Digesting;
   Designing of Fabric;
   Unhairing, Soaking, deliming and bating of hides
   Washing of fabric;
   Trimming, Puling, juicing and blanching of fruits and vegetables;
   Washing of equipment and regular floor washing, using of considerable cooling water;
   Separated milk, buttermilk and whey;
   Stopping and processing of grain;
   Distillation of alcohol, stillage and evaporation;
   Slaughtering of animals, rendering of bones, washing of meat;
   Juicing of sugar cane, extraction of sugar, Filtration, centrifugaiton, distillation;
   Pulping and fermenting of coffee bean;
   Processing of fish;
   Filter back wash in D.M. Plants exceeding 20 K.L per day capacity;
   Pulp making, pulp processing and paper making Cocking of coal washing of blast furnace flue gases;

   Stripping of oxides;
   Washing of uses sand by hydraulic discharge;
   Washing of latex etc.
   Solvent extraction

3. All such industries which do not use fuel in their manufacturing process or in any subsdiary process and which do not emit fugitive emissions of a diffused nature.

Industries not satisfying any one of the three criterial are recommended to be referred to Ministry of Environment & Forests.

The following industries appear to fall in non-hazardous, non-obnoxius and non-polluting category, subject to fulfilment of above three conditions :

1. Atta-chakkies
2. Rice Mullors
3. Iceboxes
4. Dal mills
5. Groundnut decortinating (dry)
6. Chilling
7. Tailoring and garment making
8. Apparl making
9. Cotton and woollen Hosiery
10. Hand loom weaving
11. Shoe lace manufacturing
12. Gold and silver thread and sari work
13. Gold and silver smithy
14. Leather foot wear and leather products excluding tanning & hide processing
15. Manufacture of mirror from sheet glass and photo-frame
16. Musical instruments manufacturing
17. Sports goods
18. Bamboo and cane products (only dry operations)
19. Card Board and paper products (Paper & pulp manufacture excluded)
20. Insulation and other coated papers (Paper & pulp manufacture excluded)
21. Scientific and Mathematical instruments
22. Furniture (Wooden and Steel)
23. Assembly of domestic electrical appliances
24. Radio assembling
25. Fountain pens
26. Polythene, plastic and P.V.C. goods through extrusion/moulding
27. Surgical gauges and bandages
28. Railway sleepers (only concrete)
29. Cotton spinning and weiving
30. Rope (cotton and plastic)

31. Carpet weaving
32. Assembly of Air coolers
33. Wires, pipes-extruded shapes from metals
34. Automobile servicing & repair stations
35. Assembly of Bicycles, baby carriages and other small non-motorized vehicles
36. Electronics equipment (assembly)
37. Toys
38. Candles
39. Carpentary - excluded saw mill
40. Cold storage (small scale)
41. Restaurants
42. Oil-ginning/expelling (non-hydrogenation and no refining)
43. Ice cream
44. Mineralized water
45. Jobbing & Machining
46. Manufacture of Steel units & suit cases
47. Paper pins & U-clips
48. Block making for printing
49. Optical frames

Category Orange

List of Indsustries that can be permitted in the Doon Valley with proper environmental control arrangement

All such industries which discharge some liquid effluents (below 500 kl/day) that can be controlled with suitable proven technology.

All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is less than 24 mt/day and the particulars emissions from which can be controlled with suitable proven technology.

All such industries employing not more than 500 persons.

The following industries with adoption of proven pollution control technology subject to fulfilling the above three condition fall under this category;

1. Lime manufacture-pending decision on proven pollution control device and Supreme Court's decision on quarring;
2. Ceramics;
3. Sanitary ware;
4. Tyres and tubes
5. Refuse incineration (controlled);
6. Flour-mills;
7. Vegetable oils including solvent extracted oils;
8. Soap without steam boiling process and synthetic detergents formulation;
9. Steam generating plants;
10. Manufacture of office and house-hold equipment and appliances involving use

of fossil fueld combustion;
11. Manfuacture of machineries and machine tools and equipments;
12. Industrial gases (only) Nitrogen, Oxygen and (CO_2);
13. Miscellaneous glassware without involving use of fossil-fueld combustion;
14. Optical glass;
15. Laboratory ware;
16. Petroleum storage & transfer facilities;
17. Surgical and medical products including & probabilities of latex products;
18. Foot-wear (Rubber);
19. Bakery products, Biscuit & Confectioners,
20. Instant tea/coffee, coffee processing;
21. Malted food;
22. Manufacture of power driven pumps, compressors refrigeration units, fire fighting equipment etc.;
23. Wire drawing (cold process) & bailing straps,
24. Steel furniture, fasteners etc ;
25. Plastic processed goods;
26. Medical & surgical instruments;
27. Acetylene (synthetic),
28. Glue & Gelatine;
29. Potassium Permanganse;
30. Metalic sodium;
31. Photographic films, papers & photographic chemicals;
32. Surface coating indsustries;
33. Fragrances, fragours & food additives;
34. Plant nutrients (only manure);
35. Aerated water/soft drink;

Note :

(a) Industries falling within the above identified list shall be assessed by the State Pollution Control Board and referred to the Union Department of Environment for consideration, before according No Objection Certificate.

(a) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Valley will be limited by 8 tonnes per day or Sulphur Dioxides from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1% sulphur).

(c) Sitting of Industrial areas should be based on sound criterial.

Category Red

C. List of Industries that cannot be permitted in the Doon Valley

1. All those industries which discharge effluents of a polluting nature at the rate of more than 500 kl/day and for which the natural course fo sufficient dilution is not available, and effluents from which cannot be controlled with suitable technology.

2. All such industries employing more than 500 persons/day.
3. All such industries in which the daily consumption of coal/fuel is more than 24 mt/day.

The following industries appear to fall under this category covered by all the points as above :

1. Ferrous and non-ferrous metal extraction, refining, casting, forging, alloy making processing etc.;
2. Dry Coal Processing/Mineral processing industries like Ore sintering benefication, pollutization etc.;
3. Phosphate look processing plants;
4. Cement plants with horizontal rotary kilns;
5. Glass and glass products involving use of coal;
6. Petroleum refinery;
7. Petro-chemical industries;
8. Manufacture of lubricating oils and greases;
9. Synthetic rubber manufacture;
10. Coal, oil, wood or nuclear based thermal power plants;
11. Vanaspati, hydrogeneted vegetable oils for industrial purposes;
12. Sugar mills (White and Khandarari);
13. Craft paper mills;
14. Coke oven by products and coaltar distillation products;
15. Alkalies;
16. Caustic soda;
17. Potash;
18. Electro-thermal products (artificial abrasives, Calcium carbide etc.);
19. Phosphorous and its compounds;
20. Acids and their salts (organic & inorganic);
21. Nitrogen compounds (Cynides, cynamides and other nitrogen compounds);
22. Explosive (including industrial explosives, detonators & fuses);
23. Pthalic anhydride;
24. Processes involving chlorinated hydrocarbon;
25. Chlorine, fluorine, bromine, Iodine & their compounds;
26. Fertilizer industry;
27. Paper board and straw board;
28. Synthetics fibres;
29. Insecticides, fungicides, herbicides & pesticides (basic manufacture & formulations);
30. Basic drugs;
31. Alcohol (Industrial or potable);
32. Leather industry including tanning and processing;
33. Coke making, coal liquification and fuel gas making industries;
34. Fibre glass production and processing;

35. Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp);
36. Pigment dyes and their intermediates;
37. Industrial carbons (including graphite electrodes, anodes midget electrodes, graphite blocks, graphite crucibles, gas carbons activated carbon synthetic diamonds, carbon black, channel black, lamp black etc);
38. Electro-chemicals (othe than these covered under Aikali group),
39. Paints, enamles & varnishes;
40. Poly propylene;
41. Poly Vinyl chloride;
42. Cement with vertical shaft kiln technology penging certification of proven technology on pollution control;
43. Chlorates, perchlorates & peroxides;
44. Polishes,
45. Synthetic resin & plastic products.

Annexure-VII

Ambient Air Quality Standards in Respect of Noise

Category of Area	Limits in dB(A) Leq	
	Day time	Night time
Industrial area	75	70
Commercial area	65	55
Residential area	55	45
Silence Zone	50	40

1. Day time is reckoned in between 6 a.m. and 9 p.m.
2. Night time is reckoned in between 9 p.m. and 6 a.m.
3. Silence zone is defined as areas upto 100 meters around such premises as hospitals, education institutions and courts. The Silence zones are to be declared by the Competent Authority. Use of vehicular horns, loudspeakers and bursting of crackers shall be banned in these zones.
4. Mixed categories of areas should be declared as one of the four above mentioned categories by the Competent Authority and the corresponding standards shall apply.